

राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गगि कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) वधियक, 2023

प्रलिमिंस के लयि:

गगि इकॉनमी, गगि वरकरस, ई-कॉमरस, सामाजकि सुरकषा संहति, 2020, श्रम अधकिार

मेन्स के लयि:

भारत में गगि इकॉनमी, भारत में गगि वरकरस से जुडे मुद्दे, गगि वरकरस के लयि सामाजकि सुरकषा ब्लैकट

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में राजस्थान वधिानसभा ने गगि वरकरस को [सामाजकि सुरकषा](#) लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण वधियक पारति कयि है।

- इस वधियक का उद्देश्य गगि वरकरस के लयि सुरकषा और लाभों की कमी को दूर करना है, जनिहें पहले ओला, उबर, स्वगिी, ज़ोमैटो और अमेज़न जैसी कंपनयिों के कर्मचारयिों के बजाय "साझेदार" के रूप में वर्गीकृत कयिा गया था।
- इससे पूरव [सामाजकि सुरकषा संहति, 2020](#) में गगि वरकरस के लयि जीवन, वकिलांगता, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सहति सामाजकि सुरकषा नधिी को अनविर्य कयिा गया था।

राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गगि कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) वधियक, 2023:

परचिय:


- राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गगि कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) वधियक अर्थव्यवस्था में गगि वरकरस के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है एवं इसका उद्देश्य उन्हें आवश्यक सुरकषा तथा सहायता प्रदान करना है।
- इस वधियक का प्राथमकि उद्देश्य राज्य में काम करने वाले गगि वरकर को सामाजकि सुरकषा और कल्याण लाभ प्रदान करना है।

मुख्य बडि:

- गगि वरकरस का पंजीकरण:
 - वधियक सभी गगि वरकरस को श्रम नयिों के अंतर्गत लाने के लयि राज्य सरकार के साथ पंजीकरण को अनविर्य बनाता है।
 - राज्य सरकार राजस्थान में कार्य करने वाले सभी गगि वरकरस का एक व्यापक डेटाबेस बनाए रखेगी।
 - प्रत्येक गगि वरकर को एक वशिषिट आईडी दी जाएगी जसिसे उसके रोज़गार की जानकारी और अधकिारों पर नज़र रखने में सुवधि होगी।
- सामाजकि सुरकषा योजनाओं तक पहुँच:
 - गगि वरकर को अनेक सामाजकि सुरकषा योजनाओं तक पहुँच प्रदान की जाएगी।
 - इन योजनाओं में स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज और आपात स्थति के दौरान वत्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हो सकते हैं।
- शकियत नविरण तंत्र:
 - यह वधियक सुनशिचति करता है कि गगि वरकर को उसकी कसिी भी शकियत को सुनने और उसका समाधान करने का अधकिार है।
 - यह प्रावधान गगि वरकर के अधकिारों की रकषा और उन्हें काम से संबंधित मुद्दों को हल करने के लयि एक मंच प्रदान करता है।
- प्लेटफॉर्म-आधारित गगि वरकर कल्याण बोर्ड की स्थापना:
 - यह बोर्ड राज्य में गगि वरकर के कल्याण और अधकिारों की देखरेख के लयि ज़मिमेदार होगा।
 - कल्याण बोर्ड में राज्य के अधकिारी, गगि वरकरस और एग्रीगेटर के प्रत्येक पाँच प्रतिनिधि और दो अन्य (एक सविलि सोसाइटी से और दूसरा जो कसिी अन्य कषेत्र में रुचि रखता है) शामिल हैं।
 - नामांकित सदस्यो में कम-से-कम एक-तहिाई महलिाएँ होनी चाहयि।
 - इस प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यह सुनशिचति करना है कि कल्याण और वनियिमन से संबंधित नरिणय लेते समयदोनों पक्षों के

हत्तियों पर वचिार कयिा जाए ।

- प्लेटफॉर्म-आधारति गगि वरकर कोष और कल्याण शुल्क:
 - यह बलि गगि वरकर के लयि सामाजकि सुरक्षा उपायों को वतितपोषति करने हेतु "प्लेटफॉर्म-आधारति गगि वरकर कोष और कल्याण शुल्क" पेश करता है ।
 - इस कोष का उपयोग चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गगि वरकर को वतित्तीय सहायता एवं कल्याण लाभ प्रदान करने के लयि कयिा जाएगा ।
- एग्रीगेटर पर लगाया जाने वाला शुल्क:
 - एग्रीगेटर को प्लेटफॉर्म-आधारति गगि वरकर से जुड़े प्रत्येक लेन-देन के लयि शुल्क का भुगतान करना होगा ।
 - कल्याण कोष में योगदान के लयि शुल्क का वशिषिट प्रतथित राज्य सरकार द्वारा नरिधारति कयिा जाएगा ।
- गैर-अनुपालन के लयि दंड:
 - वधियक में एग्रीगेटर द्वारा अनुपालन न करने की स्थति में दंड का प्रावधान शामिल है ।
 - समय पर कल्याण शुल्क का भुगतान करने में वफिल रहने वाले एग्रीगेटर से नयित तथि से 12% प्रतविरष की दर से ब्याज लयिा जाएगा ।
 - राज्य सरकार एग्रीगेटर द्वारा अधनियिम के पहली बार उल्लंघन के लयि 5 लाख रुपए तक और बाद के उल्लंघन के लयि 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है ।



//

गगि वरकर:


- एक 'गगि वरकर' को वर्तमान में ऐसे व्यक्त के रूप में परभाषति कयिा गया है जो 'पारंपरकि नयिकता-करमचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतविधियों से आय अरजति करता है जैसे- स्वगि, ज़ोमैटो, ओला, उबर, अरबन कंपनी आदिविभिन्न प्लेटफॉर्मों या एग्रीगेटर के लयि अनुबंध पर कार्य करता

है"।

- गगि वरकर नयिमति करमचारयिों से भनिन होते हैं, कर्योक उनके पास लचीले काम के घंटे तथा आय के वभिनिन स्रोत होते हैं।
 - उन्हें मासकि या घंटे के आधार पर नहीं, बलकि उनके द्वारा पूर्ण कये गए कर्यो या सेवाओं के आधार पर भुगतान कया जाता है।
- गगि वरकर वभिनिन सेवाएँ परदान करते हैं, जैसे- भोजन वतिरण, राइड-हेलगि, घरेलू सेवाएँ, ई-कॉमर्स, सामग्री नरिमाण, ग्राफकि डिजाइन, वेब के वकिस आदि।
 - वे अपना करय करने के लयि अपने स्वयं के उपकरणों, वाहनों तथा औजारों का उपयोग करते हैं।
- बोसटन कंसलटगि गरुप और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की एक रपिरट के अनुसार, भारत में गगि वरकरस की संख्या लगभग 15 मलियन होने का अनुमान है। इनके वर्ष 2028 तक बढ़कर 90 मलियन होने की उम्मीद है।
- गगि इकाँनमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जसिमें सामान्यतः अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालकि कर्यो के लयि स्वतंत्र वरकर के साथ अनुबंध करते हैं।

GIG WORKFORCE IN INDIA

NITI Aayog, in its report, India's Booming Gig and Platform Economy, said that gig workforce in India is expanding. As of 2019-20, here's what the following sectors employed:



NITI Aayog report stated:



■ सामाजकि सुरक्षा पर संहति, 2020:

- सामाजकि सुरक्षा संहति, 2020 का उद्देश्य संगठति या असंगठति कषेत्रों के सभी करमचारयिों और वरकरस तक इसे वसितारति करने के लयि सामाजकि सुरक्षा से संबंधति कानूनो में संशोधन तथा समेकति करना है।
- संहति को केंद्र सरकार द्वारा अधसूचना के माध्यम से आकार-सीमा के अधीन प्रतषिठानों पर लागू कया जा सकता है।
- असंगठति वरकरस, गगि वरकरस एवं प्लेटफॉर्म वरकरस के लयिकेंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग सामाजकि सुरक्षा कोष

स्थापति किये जाएंगे।

- असंगठित वर्कर्स, गगि वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिये पंजीकरण प्रावधान नरिदषिट हैं।
- इन श्रेणियों के वर्कर्स के लिये योजनाओं की सफिरशि और नगिरानी के लिये एक **राष्ट्रीय सामाजकि सुरक्षा बोर्ड** की स्थापना की जाएगी।
- गगि वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की योजनाओं के लिये धनराशिकेंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ प्रवर्तकों के योगदान से प्राप्त की जा सकती है।
- कुछ अपराधों के लिये दंड कम कर दिया गया है, जसिमें नरीिक्षकों के कार्य में बाधा डालना और गैर-कानूनी तरीके से वेतन काटना शामिल है।
- महामारी के दौरान केंद्र सरकार नयिकता और करमचारी योगदान [करमचारी राज्य बीमा (ESI) और **भवषिय नधि(PF)** के तहत] को तीन महीने तक के लिये स्थगति या कम कर सकती है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गगि इकॉनमी' की भूमकि का परीक्षण कीजयि। (2021)

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rajasthan-platform-based-gig-workers-registration-and-welfare-bill,-2023>

